वर्षों से पीएफ हड़पने का बड़ा मामला

लखानी मज़दूरों का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचने लगा है

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

सोमवार, 15 मई, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के बैनर तले, 22 अक्तूबर 2022 से जारी, जन-आन्दोलन के लिए सुखद आश्चर्य का दिन था। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कृष्ण कुमार ने, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को, सम्मानपूर्वक, एक पत्र, RO/HR/FBD/Comp.II & 12687/155 दिनांक 27/04/2023 थमाते हुए कहा, कि अब आपके सदस्य जब चाहें, अपने पीएफ़ का पैसा निकाल सकते हैं। 'मेसर्स लखानी फुटवेयर प्रा लि.' के मालिक के सी लखानी ने, 4 महीने छोड़कर, कर्मचारियों के पीएफ़ का सारा पैसा जमा करा दिया है। बाक़ी पैसा भी वे जल्दी ही जमा करा देंगे, क्योंकि आपकी बार-बार शिकायतों, एचआर/ एफबीडी/10939 तथा एचआर/ एफबीडी/10939 और तीव्र आक्रोश आन्दोलनों को देखते हुए, विभाग ने अपनी पूरी ताक़त लगा दी है और वैधानिक ज़िम्मेदारी से बचकर निकलने के उनके सारे रास्ते, अब बंद हो चुके हैं।

भविष्य-निधि विभाग द्वारा जारी, 'कारण बताओ नोटिस' के जवाब में, लखानी कंपनी ने बताया कि आर्थिक संकट की वजह से, वे अप्रैल 2021 के बाद कर्मचारियों के वेतन से काटा पैसा जमा नहीं करा पाए, जल्द ही करा देंगे। विभाग लेकिन इस लारे-लप्पे से नहीं बहला, और दूसरा 'कारण बताओ नोटिस' ही जारी नहीं किया बल्कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 और 409 के तहत, फ़रीदाबाद सेंट्रल पुलिस थाने में एफ़आईआर भी दर्ज करा दी। लखानी मज़दूरों का ये आन्दोलन, 22 अक्तूबर 2022 को शुरू हुआ था। उससे पहले, 2022 में इस कंपनी ने, अपने पीएफ़ के सरकारी खाते में, एक पैसा भी जमा नहीं किया था, जबकि मज़दूरों के वेतन से पैसा हर महीने बदस्तूर कटता रहा। अक्तूबर 22 से जनवरी 23 तक, 4 महीनों में, कंपनी ने कुल 19,73,397 रुपये जमा कराए है। बाक़ी 4 महीने का पीएफ का पैसा जमा करने के लिए मोहलत मांगी है। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना हमारी ज़िम्मेदारी है, कि फ़रीदाबाद भविष्यनिधि विभाग में, लखानियों द्वारा मज़दूरों के पीएफ़ में, 'अमानत में ख़यानत' के अपराध के इस मामले को, जब सहायक भविष्य निधि-आयुक्त-II, कृष्ण कुमार को सौंपा गया, उसके बाद ही, एफ़आईआर दर्ज हुई, मालिक के ऊपर दबाव बना और मज़दूरों के हक़ का ये पैसा, उन्हें मिलने की उम्मीद बंधी। उसके पहले, भविष्य-निधि विभाग, गैर-ज़िम्मेदारी और निकम्मेपन की चादर ओढ़कर सोया रहा।

इसी तरह, मज़दूरों के सतत आक्रोश प्रदर्शनों और लगातार पैरवी के परिणामस्वरूप, श्रम विभाग में भी हलचल हुई है। 74 मज़दूरों का सामूहिक दावा दाख़िल होने पर उप-श्रमायुक्त फ़रीदाबाद द्वारा मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया। इस स्तर तक, 8 मई को लखानी के वरिष्ठ अधिकारी वीरेंद्र अहलावत ने श्रम कार्यालय में उपस्थित होने की ज़हमत उठाई। हालाँकि, इंस्पेक्टर

अमर सिंह के दफ़्तर में उनका बर्ताव अत्यंत आपत्तिजनक, भड़काऊ तथा झगड़े पर आमादा होने वाला था। बेहद तल्खी और बदतमीज़ी में वे मानो कहना चाह रहे थे कि 'मज़दूरों की हिम्मत कैसे हुई, हमारे मालिक के विरुद्ध शिकायत करने की। "हमने आजतक किसी मज़दूर मोर्चे को अपनी कंपनी में घुसने नहीं दिया, ये क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा कहां से पैदा हो गया!!" उन्हें समझाया गया कि फ़रीदाबाद, लखानियों और उनके वफ़ादार अधिकारीयों की जागीर नहीं है। ये देश, कम से कम अभी तक तो, संविधान से ही चल रहा है।

संघर्षों का औज़ार, अपना संगठन बनाना, मज़दूरों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हो सकता है, पहले, मज़दूरों के किसी संगठन को लखानियों ने डरा दिया हो, लेकिन 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा', किसी भी तुर्रमखां मालिक के अनुमति से ना कहीं जाता है, और ना कहीं जाने से रुकता है। ये संगठन मज़दूरों की ज़रूरतों, संघर्षों, राय और देश के नियम-क़ायदों का पूरी शिद्दत से सम्मान करता है और मालिकों की हेकड़ी, दादागिरी की बिलकुल परवाह नहीं करता। हाँ, शांति भंग ना करने और जन-आंदोलनों को अनुशासित रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी कार्यालय में, सरकारी अधिकारी का, ऐसे मालिक के अधिकारी द्वारा जो मज़दूरों के हक़ के करोड़ों रुपये दबाकर बैठा है, किसी भी श्रम-क़ानून का पालन नहीं कर रहा, सहायक श्रम-आयुक्तों तक के आधिकारिक आदेश, समन को कोई महत्व नहीं देता, निर्धारित तारीख पर कभी दफ़्तर में हाज़िर नहीं रहता, चीखने-चिल्लाने, बदतमीज़ बोलने पर, दम साधकर चुप्पी ओढ़ लेना, अत्यंत निंदनीय है। अधिकारी, सरकारी कार्यालय की मर्यादा को किसी को भी भंग नहीं करने देंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए।

वर्ष 2021 में, लखानी द्वारा, लगभग 300 स्थाई मज़दूरों को, जो दस-दस साल से काम कर रहे थे, काम से निकालने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। उनके वेतन भुगतान में, जान-बूझकर देर की जाती रही और जब मज़दूरों ने शिकायतें कीं, तो बोला गया कि अगर आप इस्तीफा लिख देंगे, तो पूरा हिसाब तुरंत मिल जाएगा। मज़दूरों ने इस्तीफे लिख दिए, लेकिन फिर भी उनका हिसाब नहीं किया गया। ये ठगी का मामला है।

कंपनी को, सबसे ज्यादा रक़म तो ग्रेच्युटी की चुकानी है जो करोड़ों में है। कंपनी के रंग-ढंग बताते हैं कि ग्रेच्युटी का प्रोविजन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि श्रम विभाग तो ज़िम्मेदार है ही, 'रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज' तथा ऑडिट करने वाली संस्थाएं भी ज़िम्मेदार हैं। ग्रेचुटी के आर्डर भी ज़ारी होने शुरू हो गए हैं। उस रक़म की वसूली एक बड़ा सवाल है।

नव-उदारवादी नीतियां और 'व्यवसाय करने की सुगमता' मालिकों द्वारा मनमानी करने की छूट का नाम है

शायद ही कोई दिन जाता हो, जब बड़े सरमाएदारों द्वारा, विशालकाय टैक्स चोरी, ग़बन, विदेशी-मुद्रा चोरी की ख़बर ना आती हो। इन ख़बरों की उम्र, लेकिन, बहुत छोटी होती है। इनमें हुकूमत, सरकारी एजेंसियों की दिलचस्पी तो होती ही नहीं, मीडिया भी इनका पीछा कर, तह तक जाने में दिलचस्पी नहीं रखता। 'लाइसेंस परमिट राज से आज़ादी', 1991 में, ढोल-ढमाकों के साथ उछाला गया, ये सरकार प्रायोजित नारा, बहुत बड़ी ठगी थी।

क्या इससे भ्रष्टाचार कम हुआ? इसके बाद से, भ्रष्टाचार के आकार विशालकाय होते गए। सरमाएदारों की 'भले माणूस', 'क्रोनि कैपिटलिस्ट' और 'मासूम कैपिटलिस्ट', वाली छवि, एक छलावा है। पूंजीवाद का मूल सिद्धांत ही श्रम-शक्ति की चोरी ह। बड़ा सरमाएदार, मतलब बड़ा श्रम-चोर!! दुनिया भर की सभी कंपनियों की कुल पूंजी को जोड़ लीजिए, कुल श्रम-चोरी पता चल जाएगी। कुल जमा पूंजी, श्रम-शक्ति का वह हिस्सा है, जिसका मेहनताना मज़दूर को नहीं मिला। पूंजीवाद के जन्म से ही, जैसे-जैसे संकट आते गए, चोरी-नियंत्रण की सरकारी व्यवस्था में ढील दी जाती रही और चोरी के आकार बढ़ते गए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक ज़िम्मेदार अधिकारी ने ये बात कबूल की है कि 80 प्रतिशत मालिक कर्मचारियों के वेतन से ईएसआईसी की कटौती करते हैं लेकिन उसमें अपना हिस्सा मिलाना तो दूर रहा, उसे भी जमा नहीं करते। मतलब 80प्रतिशत मालिक 'लखानी' बन चुके!! बाक़ी के 20 प्रतिशत भी जल्दी ही 'समझदार' हो जाएंगे! ये मालिक, जब कोई दुर्घटना घट जाती है, उसके बाद ही उसका ईएसआई कार्ड बनाते है। ये गैरकानूनी है, और निगम ऐसे मज़दूरों का इलाज करने को ना बोलने वाला है। इलाज की ज़रूरत, दुर्घटना के वक़्त ही नहीं, अन्यथा भी होती है, और पूरे परिवार को होती है। इसीलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा, सभी मज़दूरों को, आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना मालिकों की कानूनी ज़िम्मेदारी है। इन श्रम क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्रम, भविष्य-निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में इंस्पेक्टर की भर्ती ना करना, जहां हैं उन्हें भी कारखानों में निरिक्षण करने से रोकना, मालिकों को, नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में सरकार द्वारा मदद करना नहीं तो और क्या है?

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421